संपादकीय

दुरुस्त आयद

इच्छामृत्यु या दयामृत्यु के पक्ष में शुक्रवार को आया सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ऐतिहासिक भी है और दूरगामी महत्त्व का भी। इस फैसले नेएक प्रकार से गरिमापूर्ण ढंग से जीने के अधिकार पर मुहर लगाई है। हमारे संविधान के अनुच्छेद इक्कीस ने जीने के अधिकार की गारंटी दे रखी है। लेकिन जीने का अर्थ गरिमापूर्ण ढंग से जीना होता है। और, जब यह संभव न रह जाए, तो मृत्यु के वरण की अनुमति दी जा सकती है। गौरतलब है कि ताजा फैसला सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सुनाया है, जिसके मुताबिक दयामृत्यु की इजाजत कुछ विशेष परिस्थितियों में दी जा सकती है। इजाजत के लिए अदालत ने उचित ही कई कठोर शर्तें लगाई हैं और कहा है कि जब तक इस संबंध में संसद से पारित होकर कानून लागू नहीं हो जाता, तब तक ये दिशा-निर्देश लागू रहेंगे। यह मुद्दा तब देश भर में बहस का विषय बना था जब मुंबई की नर्स अरुणा शानबाग की दयामृत्यु के लिए याचिका दायर की गई थी।एक शख्स जो न अपने परिजनों को पहचान सकता है, न चल-फिर, न खा-पी सकता है, न सुन-बोल सकता है, जिसे अपने अस्तित्व का भी बोध नहीं है, और जिसे तमाम चिकित्सीय उपायों से स्वस्थ करना तो दूर, होश में भी नहीं ला सकते, उसका जीना एक जिंदा लाश की तरह ही होता है। ऐसी स्थिति में उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी जीवनरक्षक प्रणाली के सहारे केवल टिकाए रखना मरीज के लिए भी यातनादायी होता है और उसके परिजनों के लिए भी। यह तर्क सर्वोच्च न्यायालय को तब भी जंचा था, पर तब उसने याचिका खारिज कर दी थी। अब उसने दयामृत्यु की इजाजत दे दी है, पर सख्त दिशा-निर्देश के साथ। निर्देशों के मुताबिक, ऐसा मरीज जिसकी हालत बुरी तरह लगातार बिगड़ती जा रही हो या जो अंतिम रूप से लाइलाज हो चुका हो, दयामृत्यु को चुन सकता है। इस संबंध में उसे एक लिखित इच्छापत्र या वसीयत देनी होगी। पर इसे काफी नहीं माना जाएगा। इसे लेकर मरीज के परिजनों या मित्रों को उच्च न्यायालय की शरण में जाना होगा। न्यायालय के निर्देश पर एक मेडिकल बोर्ड गठित किया जाएगा, और वह बोर्ड ही तय करेगा कि मरीज चिकित्सीय रूप से दयामृत्यु का हकदार है या नहीं।

अगर मरीज पहले से निरंतर बेहोशी की हालत में हो, तब भी परिजनों को उच्च न्यायालय की अनुमति से बाकी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। अस्पताल को भी, जीवनरक्षक प्रणाली हटाने से पहले यह देखना होगा कि सारी शर्तें पूरी कर ली गई हैं या नहीं। इस तरह अदालत ने किसी भी मरीज को यह अधिकार दिया है कि वह चाहे तो, लगातार बेहोशी की हालत में रखे जाने या लगातार कृत्रिम उपायों के सहारे अपना वजूद बनाए रखने से इनकार कर सकता है। दयामृत्यु का अधिकार कई देशों में है और इसे मानव सभ्यता की प्रगति की एक निशानी के तौर पर ही देखा जाता रहा है। भारत में विभिन्न मानव अंगों के दान से संबंधित कानून हैं, और ये कानून यही जताते हैं कि हर व्यक्ति का अपने शरीर पर अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के ताजा फैसले ने भी इसी की पुष्टि की है। अब इस संबंध में कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद की है, और केंद्र सरकार को इस बारे में पहल करनी चाहिए।

जब डूबने लगेंगे तटीय शहर

जलवायु संकट की वजह से पिघलती बर्फ के कारण समुद्र का जल-स्तर इस सदी के अंत यानी वर्ष 2100 तक वैज्ञानिकों के पूर्वानुमान से दोगुने से भी ऊपर निकल जाएगा। यह चौंकाने वाली बात अमेरिका के कोलाराडो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने 'प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज' में प्रकाशित शोध में कही है। वैज्ञानिकों ने वर्ष 2100 तक समुद्र का जल-स्तर तीस सेंटीमीटर बढ़ने का अनुमान लगाया था।

लेकिन नए शोध के मुताबिक अब यह पैंसठ सेंटीमीटर से भी अधिक बढ़ सकता है। शोधकर्ताओं की मानें तो समुद्र का जल-स्तर हर साल 0.08 मिलीमीटर की दर से बढ़ रहा है। इसके लिए अलनीनो की वजह से समुद्री जल का तापमान बढ़ने और हवाओं का बदलता रुख भी काफी हद तक जिम्मेदार है। शोधकर्ताओं ने समुद्र के बढ़ते जल-स्तर के लिए दो महत्त्वपूर्ण कारण गिनाए हैं। एक यह कि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन की बढ़ती मात्रा के कारण धरती पर हवा और पानी का तापमान बढ़ रहा है। दूसरा, जमीनी बर्फ के तेजी से पिघलने से समुद्री जल-स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

शोधकर्ताओं के मुताबिक समुद्री जल-स्तर तेजी से बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ का तेजी से पिघलना है, जिसके लिए एकमात्र वजह जलवायु संकट है। याद होगा अभी कुछ दिन पहले मैक्सिको की खाड़ी में स्थित लुइसियाना का डेलाक्रोइस शहर देश-दुनिया में खूब चर्चा का विषय बना था। उसका कारण यह था कि यह शहर धीरे-धीरे समुद्र में समा रहा है।

यहां समुद्र का पानी शहर एक बड़े हिस्से को निगल चुका है और पिछले एक सौ साल में लुइसियाना की 1880 वर्ग मील जमीन समुद्र में डूब चुकी है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि औसतन सत्रह वर्ग मील जमीन हर साल डूब रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर कहीं बड़ा समुद्री तूफान आया तो शहर का बड़ा हिस्सा समुद्र में समा सकता है।

वर्ष 2016 में हुए एक अध्ययन के मुताबिक पिछले सौ साल में समुद्र का पानी बढ़ने की रफ्तार पिछली सत्ताईस सदियों से ज्यादा है। वैज्ञानिकों की मानें तो अगर धरती का बढ़ता तापमान रोकने की कोशिश नहीं हुई तो दुनिया भर में समुद्र का स्तर पचास से एक सौ तीस सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। गौरतलब है कि अभी तक पहाड़ी ग्लेशियर की बर्फ ही समुद्र का पानी बढ़ा रही थी, मगर धरती के बढ़ते तापमान से अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड की बर्फ भी पिघलने लगी है।

ऐसा माना जा रहा है कि आगे चल कर इसी से समुद्र का पानी तेजी से बढ़ने वाला है। पिछले साल कैंब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि आने वाले एक-दो वर्षों में आर्कटिक समुद्र की बर्फ पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इसका आधार वैज्ञानिकों द्वारा अमेरिका के नेशनल स्नो एंड आइस डाटा सेंटर की ओर से ली गई सैटेलाइट तस्वीरें हैं।

वैज्ञानिकों के मुताबिक इस वर्ष एक जून तक आर्कटिक समुद्र के केवल एक करोड़ ग्यारह लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही बर्फ बची है जो पिछले तीस साल के औसत एक करोड़ सत्ताईस वर्ग किलोमीटर से कम है। उनका दावा है कि तेजी से बर्फ पिघलने से समुद्र भी गर्म होने लगा है। आर्कटिक क्षेत्र में आर्कटिक महासागर, कनाडा का कुछ हिस्सा, ग्रीनलैंड (डेनमार्क का एक क्षेत्र), रूस का कुछ हिस्सा, संयुक्त राज्य अमेरिका (अलास्का) आइसलैंड, नार्वे, स्वीडन और फिनलैंड शामिल हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर पृथ्वी

का तापमान तीन दशमलव छह डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है तो आर्कटिक के साथ-साथ अंटार्कटिका के विशाल हिमखंड भी पिघल जाएंगे और समुद्र के जल स्तर में दस इंच से पांच फुट तक वृद्धि हो जाएगी। इसका परिणाम यह होगा कि तटीय शहर समुद्र में डूब जाएंगे। ऐसा हुआ तो फिर न्यूयार्क, लॉस एंजिलिस, पेरिस, लंदन, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पणजी, विशाखापत्तनम, कोचीन और तिरुवनंतपुरम जैसे शहर समुद्र में समाने लगेंगे। वर्ष 2007 की अंतर-सरकारी पैनल की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के करीब तीस पर्वतीय ग्लेशियरों की मोटाई अब आधे मीटर से भी कम रह गई है।

हिमालय क्षेत्र में पिछले पांच दशकों में माउंट एवरेस्ट के ग्लेशियर दो से पांच किलोमीटर तक सिकुड़ गए हैं और छिहत्तर फीसद ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहे हैं। कश्मीर और नेपाल के बीच गंगोत्री ग्लेशियर भी तेजी से सिकुड़ रहा है। अनुमानित भूमंडलीय तापमान बढ़ने से जीवों का भौगोलिक वितरण भी प्रभावित हो सकता है। कई प्रजातियां धीरे-धीरे ध्रुवीय दिशा या उच्च पर्वतों की ओर विस्थापित हो जाएंगी। प्रजातियों के वितरण में इन परिवर्तनों का प्रजाति विविधता तथा पारिस्थितिकी क्रियाओं इत्यादि पर असर पड़ेगा। पृथ्वी पर करीब बारह करोड़ साल तक राज करने वाले डायनासोर नामक दैत्याकार जीवों के समाप्त होने का कारण संभवतः ग्रीनहाउस प्रभाव ही था।

निश्चित रूप से मनुष्य के विकास के लिए प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का दोहन आवश्यक है, लेकिन उसकी सीमा निर्धारित होनी चाहिए। पर ऐसा हो नहीं रहा है। जिस तरह बिजली उत्पादन के लिए नदियों के सतत प्रवाह को रोक कर बांध बनाए जा रहे हैं उससे खतरनाक पारिस्थितिकीय संकट खड़ा हो गया है। भारत की गंगा और यमुना जैसी कई नदियां सूखने के कगार पर हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जल संरक्षण और प्रदूषण पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले 200 सालों में भू-जल स्रोत सूख जाएंगे।

याद होगा पांच जून, 2007 को पर्यावरण दिवस का सबसे ज्वलंत विषय 'पिघलती बर्फ' ही था। इस पर मुख्य अंतरराष्ट्रीय आयोजन नार्वे के ट्रामसे में हुआ था और दुनिया भर में 'ग्लोबल आउटलुक फॉर आइस एंड स्नो' की शुरुआत हुई। दुनिया के बीस सबसे ज्यादा क्लोरोफ्लोरो कार्बन उत्सर्जित करने वाले देशों के बीच ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए 16 सितंबर, 1987 को अंतरराष्ट्रीय संधि हुई थी, जिसे मांट्रियल प्रोटोकॉल नाम दिया गया। इसका मकसद ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार गैसों और तत्त्वों के इस्तेमाल पर रोक लगाना था।

लेकिन इस दिशा में अभी तक अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक वायुमंडल में छत्तीस लाख टन कार्बन डाइआक्साइड की वृद्धि हो चुकी है और चौबीस लाख टन आक्सीजन खत्म हो चुकी है। अगर यही स्थिति रही तो 2050 तक पृथ्वी के तापक्रम में लगभग चार डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है।

वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी का तापमान जिस तेजी से बढ़ रहा है और अगर उस पर समय रहते काबू नहीं पाया गया तो अगली सदी में तापमान साठ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं गरम हवाएं चलेंगी तो कहीं भीषण तूफान और बाढ़ आएगी। जल संरक्षण और प्रदूषण पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले सालों में भू-जल संकट गहराएगा। नतीजतन, मनुष्य को खतरनाक मौसमी बदलावों जैसे- जलवायु संकट, ओजोन क्षरण, ग्रीनहाउस प्रभाव, भूकम्प, भारी वर्षा, बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं से जूझना होगा।

जलवायु परिवर्तन को लेकर 1972 में स्टाकहोम, 1992 में रियो द जेनेरियो, 2002 में जोहानीसबर्ग, 2006 में मांट्रियल और 2007 में बैंकॉक सम्मेलन हुआ। जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता जताते हुए उसे संतुलित बनाए रखने के लिए ढेरों कानून गढ़े गए। लेकिन त्रासदी है कि उस पर ईमानदारी से अमल नहीं हो रहा है। इन सम्मेलनों में सैद्धांतिक रूप से पृथ्वी के प्राकृतिक द्रव्यों, जिनमें वायु, पानी, भूमि तथा पेड़-पौधे शामिल हैं, को वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने पर बल दिया गया है। रियो शिखर सम्मेलन में कहा गया कि स्थायी विकास के सभी सरोकारों का केंद्र बिंदु मानव जाति ही है और उसे प्रकृति के साथ पूर्ण समरसता रखते हुए स्वस्थ एवं उत्पादनशील जीवन जीना चाहिए। लेकिन विडंबना है कि मानव जाति प्रकृति से शत्रुता भरा व्यवहार छोड़ने को तैयार नहीं है।

सम्मान का हक

पिछले दिनों दिल्ली के एक विश्वविद्यालय की लड़कियां इसलिए सड़कों पर उतर आईं कि कुछ बदमाश छात्रों से वे बुरी तरह त्रस्त हो चुकी हैं; विकृत मानसिकता के शिकार कुछ युवक लड़कियों पर तरह-तरह की गंदी टिप्पणियां करते हैं। एक लड़की ने तो यहां तक बताया कि किसी लड़के ने उस पर वीर्य से भरा गुब्बारा फेंका। यह अपने आप में असाधारण रूप से निर्लज्जतापूर्ण घटना कही जाएगी। समझा जा सकता है कि हमारी युवा पीढ़ी का एक वर्ग कैसी भयंकर विकृति का शिकार होता जा रहा है। ऐसी हरकतें करने वाले युवक क्या आदर्श नागरिक बनेंगे? शायद नहीं। इसके बजाय वे शायद बलात्कारी, गुंडा या डकैत बन जाएं! हैरानी तो यह जान कर होती है कि देश के महत्त्वपूर्ण शिक्षा केंद्रों में आकर कुछ युवक पूरी तरह विफल क्यों हो जाते हैं! शिक्षा ग्रहण करने के अपने मुख्य लक्ष्य से वे भटक क्यों जाते हैं? हमने सुना था कि शिक्षा मनुष्य को सभ्य बनाती है। लेकिन जब गुमराह युवकों की ऐसी हरकतें देखते हैं तो सोचना पड़ता है कि क्या शिक्षा सच में सबको सभ्य बनाती है? या यह अब केवल असली या फर्जी डिग्री देने तक सीमित रह गई है? एक तरफ दिल्ली में कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक हो जाता है और हजारों बच्चे आंदोलन करने सड़कों पर उतर जाते हैं, वहीं कुछ युवक इस आंदोलन से दूर लड़कियों पर अपनी कुंठा के गुब्बारे फेंकने पर आमादा हैं। ये केवल पतन के गुब्बारे हैं, जो हमारे चेहरे को और विकृत कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं होती हैं, तब सोचना पड़ता है कि हमारे सामने यह कैसी दुनिया बनती जा रही है, जहां युवा पीढ़ी न केवल अपने मां-बाप को धोखा दे रही है, बल्कि अपने पतन का भी घोषणापत्र तैयार कर रही है।

लड़कियों के खिलाफ अश्लील हरकत करने वाले वे युवक अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें अपना भविष्य बनाना है, माता-पिता के सपनों को साकार करना है। लेकिन कस्बों से महानगरों में आकर शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे अगर शिक्षा का रास्ता छोड़ कर ऐसा अराजक रास्ता अपनाएंगे तो वे अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारेंगे। इन्हें समझाने वाले शिक्षकों की भी अब बड़ी कमी होती जा रही है। इसलिए अब शायद यह जरूरी हो गया है कि विश्वविद्यालयों में भी छात्रों को नैतिकता का निरंतर पाठ पढ़ाने की जरूरत है। अगर समय रहते हम नहीं चेते तो पतन के गुब्बारे से लेकर तेजाब फेंकने तक की घटनाएं होती रहेंगी। छेड़खानी, गंदे फिकरे कसना और बलात्कार जैसी घटनाएं तो लगातार हो ही रही हैं। इन सबसे बचने के लिए भले ही शिक्षा परिसर में खुफिया कैमरे लगा कर रखें जाएं, लेकिन अपराध से बच नहीं पाएंगे। असली चीज है युवाओं का मानस या उनके सोचने-समझने का तरीका, जो शायद उन लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंचे। अब सोचने-समझने के सभ्य तरीकों या धारणाओं से उन्हें कैसे लैस किया जाए, इसकी चिंता विश्वविद्यालयों से लेकर हर उस शिक्षा केंद्र को करनी होगी, जहां मासूम बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसी शिक्षा की जरूरत है कि बच्चा बड़ा होकर हर स्त्री के प्रति सम्मान का भाव रखे, उसके व्यक्तित्व की गरिमा का खयाल रखे। उसे बताया जाए कि ऐसा करके वह अपनी मां-बहन या घर की दूसरी महिलाओं का सम्मान बढ़ाने में भूमिका निभाएगा। सच यह है कि स्त्री को भोग का सामान समझने की मानसिकता के कारण ही ऐसी स्थितियां जन्म लेती हैं। भारत में कभी दुनिया भर के लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे। लेकिन अब हमारे देश में जो नया इंडिया उदित हो रहा है, वह काफी नुकसानदेह साबित हो रहा है। यह 'इंडिया' हाईटेक यानी उच्च तकनीकी से लैस तो हो चुका है, लेकिन इसकी मानसिकता में अभी भी लंपटता बरकरार है। यह शिक्षा व्यवस्था के साथ-साथ हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि अपने देश के सम्मान को बचाएं। एक ऐसा समाज बनाएं जहां स्त्रियों को देह नहीं मान कर, उन्हें व्यक्ति समझा जाए और उनकी गरिमा की कद्र की जाए। फिलहाल हमारे युवाओं को ऐसा समाज और व्यवहार दिया जाता है, जहां वे महिलाओं को केवल कुंठा की दृष्टि से देखते हैं। उनके खिलाफ आपराधिक बर्ताव की बातों से भरे रहते हैं। अगर केवल मनोरंजन के लिए कोई खास व्यवहार होता तो वह महिलाओं और पुरुषों के साथ समान भाव से होता। पुरुषों पर भी फिकरे कसे जाते। लेकिन कई पुरुषों के भीतर जमी कुंठित सोच का निशाना केवल महिलाएं बनती हैं।

संपादक-चुनीलाल एस. भट्ट,
मुद्रक एवं प्रकाशक-मयुर सी. भट्ट, प्रकाशन स्थल-201, 202, 208 नंदन कोम्पलेक्ष, मीठाखली, अहमदाबाद-6.
मालिक-कल्याणी पब्लिकेशन प्रा.लि. द्वारा महादेव ऑफसेट, बी-4, रवि एस्टेट, रूस्तम मिल कम्पाउंड, दूधेश्वर, अहमदाबाद में छपवाकर प्रकाशित किया।
फोन-26568477, 26409779.
E : alpaviram1@yahoo.com

जिंदगी से जोर आजमाइश करती सुंदरता

प्रकृति ने महिलाओं में सुंदर देखने की इच्छा स्वाभाविक तौर पर पैदा की है। उनकी इस चाहत में कुछ और चीजों ने आग लगाई है। एक तरफ कुंठित मर्द समाज है जिसकी नजर में स्त्री का वजूद एक सुंदर, सजी-संवरी और उसका मन बहलाने वाली गुड़िया से अधिक कुछ नहीं है। दूसरी तरफ वह बाजार है जो स्त्रियों की सुंदरता की चाहत का दोहन करते हुए अजीबोगरीब नुस्खे, क्रीम, पाउडर, लाली ऐसे लुभावने अंदाज में पेश करता है कि बहुतेरी महिलाएं बिना यह सोचे-विचारे झांसे में आ जाती हैं कि आखिर इस सबका हश्र क्या निकलेगा। इसी में एक बड़ी तब्दीली यह हुई है कि सुंदरता का मतलब सिर्फ त्वचा (उसका रंग, चिकनाई, कसावट) और बालों की देखभाल तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि शरीर की साज-सज्जा के लिए दवाओं (एपीरियंस मेडिसिन), बोटोक्स ट्रीटमेंट और कॉस्मेटिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन तक कराए जा रहे हैं। दुनिया भर में अब ऐसे ब्यूटी पार्लर, सैलून और स्पा मौजूद हैं जो ज्यादा तेजी से आकर्षक बनाने वाली और चेहरे व शरीर की खामियां तुरत-फुरत दूर करने वाली अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं और दावा करते हैं कि इन प्रयोगों से कोई सुंदर दिख सकता है या उसकी सुंदरता और बढ़ सकती है।

विडंबना यह है कि अभी हमारे पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि सुंदरता बढ़ाने का दावा करने वाले ये सारे उपाय कितने कारगर होते हैं, और कहीं वे नुकसानदेह तो नहीं हैं! जिस तरह खाने-पीने की चीजों में खतरनाक रसायनों के इस्तेमाल से लोगों की सेहत बिगड़ना सरकार और अदालतों की चिंता का विषय हो सकता है, उसी तरह सुंदरता के नाम पर घटिया क्रीम, दवाएं बेचने और गलत सलाह देने या ऑपरेशन कर देने को भी एक गुनाह के तौर पर लिए जाने की जरूरत है। सुंदरता के लिए प्रयुक्त होने वाले उत्पादों में मौजूद घातक रसायन इंसानों के शरीर में पहुंच रहे हैं, यह बात कई अध्ययनों से साबित हुई है। जैसे, लंदन स्थित ब्रूनेल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा अट्ठाईस देशों में संचालित किए गए एक अध्ययन के नतीजे कुछ ही साल पहले सामने आए थे।

इस अध्ययन में पाया गया कि

पचास रसायन ऐसे हैं जो अकेले तो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन दूसरे रसायनों के साथ मिलाए जाने पर क्रियाएं करके वे कैंसरकारक रसायनों में बदल जाते हैं। जिस तरह से विभिन्न सौंदर्य प्रसाधन कंपनियां अपने उत्पादों में पहले के मुकाबले ज्यादा असर होने के दावे कर रही हैं, उससे प्रतीत होता है कि उन्होंने रसायनों की मात्रा बढ़ाई होगी या विभिन्न रसायनों के ऐसे मिश्रण तैयार किए होंगे, जो तुरंत परिणाम तो देते हैं पर उनसे स्वास्थ्य संबंधी अत्यधिक खतरे हो सकते हैं। समस्या यह है कि सुंदर दिखने की चाह लोगों को बिना जांचे-परखे ऊंचे दावों वाले लोशन, फेसवॉश, क्रीम, शैंपू की तरफ खींचे ले जा रही है जो आखिर में उनमें कैंसर जैसे गंभीर मर्ज पैदा कर देते हैं। आज के कामकाजी माहौल में स्वस्थ-सुंदर दिखने की अनिवार्यता जैसे पहलुओं ने महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों को भी अपनी सुंदरता कायम रखने के लिए सतत प्रयास करने को प्रेरित किया है। अब गांव-कस्बों की महिलाएं इसमें पीछे नहीं हैं। वहां भी टीवी के प्रभाव व शहरी महिलाओं की देखादेखी ब्यूटी पार्लर जाने का चलन जोर पकड़ रहा है।

लंदन का ब्रूनेल विश्वविद्यालय ही नहीं, कई दूसरी संस्थाएं भी इस संबंध में आगाह करती रही हैं। जैसे, वर्ष 2014 में दिल्ली स्थित पर्यावरणवादी संस्था सेंटर फॉर साइंस (सीएसई) ने एक स्वतंत्र देशव्यापी जांच में यह दावा किया था कि देश में जिन सौंदर्य प्रसाधनों का खूब इस्तेमाल किया जा रहा है, उनमें तरह-तरह के जहरीले तत्त्वों की मात्रा निरापद सीमा से ज्यादा है। ऐसे प्रसाधन महिलाओं में त्वचा कैंसर, पेट की रसौली जैसे गंभीर रोग पैदा कर रहे हैं। सीएसई ने यह निष्कर्ष निकाला था कि त्वचा का रंग निखारने वाली क्रीमों, लिप बाम और एंटी एजिंग क्रीमों में कई रसायन खतरनाक मात्रा तक मौजूद हैं। इनमें पारा (मरकरी), क्रोमियम और निकिल जैसी भारी धातुओं का अत्यधिक इस्तेमाल पाया गया था। रंग गोरा बनाने वाली चौवालीस फीसद फेयरनेस क्रीमों में पारा (मरकरी) तय मात्रा के मुकाबले ज्यादा था और पचास प्रतिशत लिपस्टिक ब्रांडों में क्रोमियम और निकिल की मात्रा काफी ज्यादा थी।

वैसे तो हमारे देश में भोजन की तरह सौंदर्य प्रसाधनों के हानिकारक तत्त्वों की मात्रा सुनिश्चित रखने के संबंध में कानून पहले से लागू है। इसके मुताबिक यदि सौंदर्य प्रसाधनों में निर्धारित मात्रा से ज्यादा रसायन पाए जाते हैं, तो इसे कानून का उल्लंघन माना जाएगा और दोषी व्यक्ति, संस्था अथवा कंपनी को सजा और जुर्माना भुगतना पड़ेगा। लेकिन इन कानूनों की प्रायः अनदेखी ही होती है। सौंदर्य प्रसाधनों में बड़ी मात्रा में खतरनाक तत्त्वों का मिलना साबित करता है कि न तो उनकी नियमित जांच हो रही है और न उनकी बिक्री रोकी जा रही है। उपभोक्ता संगठन अभी इस बारे में इतने जागरूक नहीं हैं कि वे कंपनियों और सरकार को नियमों के पालन के लिए बाध्य कर सकें। खुद उपभोक्ता भी इस बारे में प्रायः कोई पहल नहीं करते, भले उन्हें कितने ही घातक नतीजे क्यों न झेलने पड़ रहे हों। भारत ही नहीं, विकसित देशों में भी ऐसे विषाक्त सौंदर्य प्रसाधनों की बिक्री रोक पाना आसान क्यों नहीं रहा है? इसका एक जवाब ब्रेस्ट कैंसर फंड की स्वास्थ्य विज्ञानी, सलाहकार नैंसी इवांस अपने एक अनुभव में दे चुकी हैं। उनका कहना था कि इसकी वजह मिलीभगत है। उनके अनुसार, सौंदर्य प्रसाधनों के निरापद-स्तर की जांच करने वाली अमेरिकी संस्था फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने अपने सात दशकों के इतिहास में सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाली सिर्फ नौ ऐसी कंपनियों पर रोक लगाई, जो मानव जीवन से खिलवाड़ कर रही थीं। इससे प्रतीत होता है कि निगरानी करने वाली संस्थाओं की मिलीभगत से भी सौंदर्य प्रसाधनों में जहरीले तत्त्वों का घालमेल चलता रहा है, जिससे कैंसर के मामले दुनिया भर में बढ़ रहे हैं।

ध्यान देने वाली एक और बात यह है कि भारत में आयातित सौंदर्य प्रसाधनों को लेकर काफी मोह है। हमारे देश में विदेशी ब्रांडों पर आंख मूंद कर भरोसा किया जाता है। यहां तो अभी किसी सरकारी संस्था ने यह पता लगाने की शायद कोई कोशिश भी नहीं की है कि भारतीय महिलाओं में कैंसर के जो मामले बढ़ रहे हैं, कहीं उनके पीछे सौंदर्य प्रसाधनों की ही तो कोई भूमिका नहीं है। भारत में स्थापित ब्रांडों की नकल भी धड़ल्ले से की और बेची जाती रही है। ऐसे में, किसी नामी ब्रांड की नकल के रूप में बिक रहे उत्पाद में कितने अधिक खतरनाक तत्त्व मौजूद हो सकते हैं इसका अंदाजा उपयोगकर्ता को शायद ही हो पाए।

लोग इस बात की तो शिकायत जरूर करते हैं कि उन्हें नामालूम कारणों से बड़ी-बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, जबकि वे तो अच्छे से अच्छा खाते हैं, पर वे यह जांच करने की जहमत शायद ही उठाते हैं कि जो शैंपू, क्रीम, पाउडर, डियोडरेंट आदि इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं वे नकली तो नहीं? या फिर कहीं उनमें सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले जहरीले रसायन तो नहीं? काश, सरकार या कोई संस्था जोर-शोर से देश की महिलाओं को बताए कि सुंदरता का मतलब चेहरे पर क्रीम-पाउडर पोत लेना नहीं है बल्कि खुद को स्वावलंबी बनाते हुए समाज में अपनी उपयोगिता साबित करना है।

बदलाव के शिकार

पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व जीत ने उसका राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना लगभग पूरा कर दिया है। त्रिपुरा में तो पच्चीस साल से काबिज वामपंथी सरकार को हटा कर केसरिया ब्रिगेड अति उत्साही हो गई है। इसकी बानगी त्रिपुरा के बेलोनिया शहर में देखने को मिली जहां जीत के जश्न में डूबे भाजपा कार्यकर्ताओं ने विश्वविख्यात वामपंथी नेता ब्लादमीर लेनिन की प्रतिमा को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। किसी भी विचारधारा से मतभेद रखना स्वाभाविक हो सकता है लेकिन किसी विचारधारा को दबाना या कुचलना निहायत अलोकतांत्रिक और असहिष्णुता का प्रदर्शन है। लेनिन दुनिया भर में मजदूरों और दबे-कुचले वर्ग के मसीहा के तौर पर स्थापित हैं। लेनिन की नीतियों की आलोचना की जा सकती है लेकिन गरीबों के लिए किए गए उनके अविस्मरणीय कार्यों को कोई नकार नहीं सकता। पूंजीवादी मुल्क भी उन पर सवालिया निशान लगाने से गुरेज करते हैं। ऐसे में हिंदुस्तान जैसे देश में यह घटना लोकतंत्र और वैचारिक आजादी पर हमला है।

लोकपाल पर कांग्रेस – लोकपाल और लोकायुक्त कानून के अनुसार लोकपाल चयन समिति में अन्य लोगों के अलावा लोकसभा में विपक्ष का नेता शामिल होता है। अब क्योंकि सदन में कोई नेता विपक्ष नहीं है, इसलिए उक्त अधिनियम में संशोधन करके नेता विपक्ष अथवा विपक्ष के सबसे बड़े दल का नेता- ये शब्द लाए जाने थे। सरकार की ओर से यह संशोधन लोकसभा में तो पारित करा लिया गया, लेकिन कांग्रेस ने राज्यसभा की कार्यवाही में लगातार विघ्न डाल कर रोड़ा अटकाए रखा। अब जब सरकार ने चयन समिति के लोकसभा में कांग्रेस दल-नेता मल्लिकार्जुन खडगे को आमंत्रित सदस्य के रूप में न्योता दिया तो वे लाल-पीले हो गए- जाऊंगा तो वोट देने की पॉवर के साथ, वरना समिति का बहिष्कार! वोट की पॉवर चाहिए थी तो संशोधन को पारित क्यों नहीं होने दिया खडगे साहब?

ये दोषी – अमेरिका और रूस हालांकि हमारे मित्र राष्ट्र हैं लेकिन वैश्विक तौर पर ये दोनों किसी भी देश में गृह युद्ध फैलाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मानवता की ये बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं। ये दोनों पूंजी के बूते दुनिया को अपने दम पर कठपुतलियों की तरह नचाना चाहते हैं। क्या हमें यह स्वीकार्य होना चाहिए? दुनिया के कई देश इनकी कूटनीति की चपेट में आ चुके हैं। यहां तक कि भारत-पाकिस्तान भी इनकी राजनीति के ही शिकार होते रहे हैं। किसी भी एक देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने में ये दोनों ही बड़े चालाक और धूर्त रहे हैं। दोनों को वैश्विक शांति में अहम योगदान देने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए।

CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTICE INVITING e-Tender

The Executive Engineer, Gandhinagar Central Division, CPWD Gandhinagar-382010 invites on behalf of President of India online percentage rate bids from approved and eligible contractor of CPWD for following work:-

NIT No.-12/EE/GCD/2017-18

Name of Work: Construction of Entrance Gate and Approach road for BSF Campus, Gandhinagar, Gujarat. Estimeted cost Rs. 37,06,669/-, Earnest Money Rs. 74,134/- Time : 05 (Five) Months, Last Time & date of submission of bids Up to 03.0 PM on **17.03.2018.**
The tender forms and other details can be obtained from the website **www.tenderwizard.com/CPWD** or **www.cpwd.gov.in** or **www.eprocure.gov.in.**

The Press Notice is also available on www.eprocure.gov.in.